
About Pension Function / पेंशन के बारे में

This Office is responsible for authorization of pensionary benefits to dignitaries like honorable Judges of High Court, All India Service Officers, Lokayukt, Members of State Public Service Commission, Divisional Accountants, Freedom Fighters and Ex-members of State Legislature and Compilation of State Pension Accounts.

Presently the pension section deals with pension of following category of officials.

- All India Service officers posted in Madhya Pradesh
- High court Judges.
- MLAs
- Maintenance of Internal Security Act (MISA) detainees
- Freedom Fighters
- Pension Transfer cases from Madhya Pradesh to other states or vice-versa.
- Residual work of old scheme pension cases.
- Relief Orders
- Lokayukta / Up-Lokayukta

यह कार्यालय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, मंडल लेखाकारों, स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य विधानमंडल के भूतपूर्व सदस्यों और राज्य पेंशन के संकलन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पेंशन लाभ के लिए अधिकृत करने के लिए भी जिम्मेदार है।

यह कार्यालय कर्मचारियों के निम्न वर्ग से संबंधित पेंशन दावों के सत्यापन के लिए पूरा करता है: -

- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मध्य प्रदेश में तैनात हैं
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- विधायक
- आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) बंदियों का रखरखाव
- स्वतंत्रता सेनानी
- मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों में पेंशन हस्तांतरण के मामले या इसके विपरीत
- पुरानी योजना पेंशन मामलों के अवशिष्ट कार्य
- राहत के आदेश
- लोकायुक्त / उप-लोकायुक्त